विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

क्र. सा.वि.मा.म / स्टोर / निविदा / 2022 / 617 दिनांक 28.09.2022

संशोधित निविदा सूचना

महाविद्यालय के **केन्टीन संचालन** सत्र 2022–23 हेतु मोहर बंद निविदाएँ पुनः आमंत्रित की जाती हैं। निविदा फार्म कार्यालय समयावधि में दिनांक 28.09.2022 से 06.10.2022 तक रोकड़ शाखा कमरा नम्बर 103 से रुपये 200 / – (दो सौ रुपये) मात्र नकद जमा करा कर प्राप्त किए जा सकते हैं। पूर्व में क्रय किये गये निविदा फॉर्म भी मान्य है। **महाविद्यालय कार्यालय में निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि 06 / 10 / 2022 सायं 04.00 बजे तक है।** समिति द्वारा प्राप्त निविदाएँ दिनांक 07 / 10 / 2022 को दोपहर 01.00 बजे निविदा प्रस्तुतकर्ताओं के समक्ष खोली जाएँगी। निविदाएँ स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। **धरोहर राशि के रूप में 10,000 / – रुपये कार्यालय में नगद / ड्राफ्ट जमा करवाकर रसीद संलग्न करें। निविदा की अन्य शर्तें संलग्न है। दिनांक 02.10.2022 से 05.10.2022 तक महाविद्यालय में अवकाश रहेगा।**

अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1.समन्वयक, आई यु एम एस को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट के कवर पेज पर अपलोड करावे।
2. महाविद्यालय नोटिस बोर्ड, साविमाम, उदयपुर ।

केन्टीन ठेका शर्तें सत्र 2022–23

1. टेण्डर की अवधि कार्यादेश जारी होने की तिथि से 30 जून 2023 तक रहेगी।
2. केन्टीन संचालन हेतु स्टील का फर्निचर टेबल एवं कुर्सी महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जावेगी।
3. केन्टीन के अन्दर एवं बाहर साफ–सफाई की जिम्मेदारी केन्टीन संचालक की होगी।
4. यह कि ठेकेदार रुपये दस हजार मात्र धरोहर के रूप में जमा करायेगा।
5. यह कि ठेकेदार को समिति द्वारा निर्धारित मासिक किराया रुपये 10000/– प्रतिमाह का भुगतान प्रत्येक माह की 10 तारीख से पहले करना होगा। सब मीटर से 8 रुपये प्रति युनिट बिजली एवं 150 रुपये प्रतिमाह पानी के बिल का भुगतान भी करना होगा।
6. केन्टीन संचालन हेतु महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाये गये फर्निचर एवं अन्य फिक्सचर सामग्री की देखरेख करना होगा।
7. किसी सामग्री के खो जाने अथवा क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार को करनी होगी। क्षतिपूर्ति ठेकेदार द्वारा नहीं करने की स्थिति में क्षतिपूर्ति की राशि ठेकेदार की अमानत राशि में से कमेटी की अनुशंषा अनुसार काट ली जायेगी।
8. केन्टीन से प्रदान की जाने वाली खाद्य पदार्थ/सामग्री का बेचान निर्धारित दर के अनुसार ही करना होगा।
9. ठेकेदार बीच में ठेका किसी भी कारणवश छोड़कर जायेगा तो अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
10. ठेकेदार बीच में ठेका छोड़कर जायेगा तो अधिष्ठाता को एक माह पूर्व लिखित में सूचना देगा और यदि ठेकेदार का कार्य सन्तोषजनक नहीं होगा तो ठेकेदार को ठेका समाप्त करने की सूचना 15 दिवस पूर्व दे दी जायेगी।
11. बाजार में मिलने वाले पैक खाद्य पदार्थ का विक्रय भी निर्धारित दर पर करना होगा।
12. उधार में बेची गयी सामग्री की जिम्मेदारी केन्टीन संचालक की होगी।